योगेश्वर राम मिश्र
विशेष सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता/ कोर्ट केस
अर्द्ध.शा.प.सं.-57/09रिट/47-का-3-2014/3/6/2014
कार्मिक अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2014

आदरणीय महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट नोटिस संख्या-1883/2013 मदन लाल गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में प्रेषित मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1001एफ।।।/2013, दिनांक 02.02.2013 जो आपको सम्बोधित व प्रेषित है (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रश्नगत याचिका में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के कर्मचारियों द्वारा सीमेंट निगम की बन्दी की तिथि 08.12.1999 से उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक वेतन आदि से संबंधित समस्त लाभ का भुगतान किए जाने की प्रार्थना की है। जहाँ तक याचिका में विखण्डन नियमावली, 2003 एवं विखण्डन अधिनियम-2009 की चुनौती का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सीमेंट निगम के छँटनी कर्मचारियों द्वारा शासकीय सेवा में समायोजन हेतु योजित की गयी है। इस रिट नोटिस संख्या-1883/2013 मदन लाल गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पैरवी औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जानी है।

3- अत- अनुरोध है कि प्रश्नगत रिट नोटिस संख्या-1883/2013 मदन लाल गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में विरोध/ पैरवी समस्त प्रतिवादीगण की ओर से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाय। यदि कार्मिक विभाग का किसी बिन्दु पर परामर्श की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो कृपया परामर्श प्राप्त करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(योगेश्वर राम मिश्र)

श्री धीरज साहू
सचिव
औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-1)
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in